भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 135.*

दिनांक 02.12.2014/ 11 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

एन०एस०जी० द्वारा सुरक्षा कवर

†*135. प्रो० के०वी० थॉमसः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन० एस०जी०) से सुरक्षा कवर प्राप्त अति विशिष्ट व्यक्तियों (वी०आई०पी०) की संख्या कितनी है;
(ख) क्या एस०एस०जी० अपने कार्यक्षेत्र से वी०आई०पी० सुरक्षा संबंधी कार्य हटाए जाने की मांग करता रहा है क्योंकि इससे उनका आतंकवाद-रोधी मूल कार्य प्रभावित होता है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का विचार अति विशिष्ट व्यक्तियों (वी०आई०पी०) को दिया एन०एस०जी० सुरक्षा कवर वापस लेने और यह कार्य किसी अन्य एजेंसी को सौंपने का है; और
(ड़) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) से (ड़) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

<u>दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 135 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क): आज की तारीख तक राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन एस जी) 15 सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सचल सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा हे।

(ख)और(ग): जी, हां। एन.एस.जी. ने अनुरोध किया है कि उसे अपनी आतंकवाद-रोधी, बंधकों को बचाने तथा विमान अपहरण-रोधी प्राथमिक भूमिका पर ध्यान केन्द्रित करने की दृष्टि से व्यक्ति विशेष को सुरक्षा मुहैया कराने की भूमिका से कार्यमुक्त किया जाए।

(घ)और(ड.): राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन एस जी) केवल 15 सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को खतरा और सुरक्षा प्रबंधन के आधार पर सुरक्षा कवर प्रदान कर रही है। वर्तमान समय में, इस मंत्रालय ने सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों से एन.एस.जी. का सुरक्षा कवर वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। बुत से सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अन्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को भी तैनात किया गया है।